HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2043/2026
CNR: RJHC021040342026 | URN: CRLR / 3856U / 2026

Madanlal S/o Nanagram, R/o Bajaj Showroom Ke Pass Keer Colony Pahadi Chunginaka Tonk Road Niwai, District Tonk, Rajasthan.
(Presently Petitioner Confined In Distt. Jail Tonk)

----Accused/Petitioner

Versus

1. Rajesh S/o Satyanarayan, R/o Shivaji Colony Gali No. 3 Kasba Niwai Tehsil Niwai District Tonk, Rajasthan.
2. State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent/Complainant

For Petitioner(s)	:	Mr. Vijendra Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP Mr. Ramniwas Dhayal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/10/2026

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 894/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 177 दिन का विलंब माफ किया जाता है।

उक्त प्रार्थना पत्र उपरोक्त अनुसार निस्तारित किया जाता है।

यह एकलपीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता **मदनलाल पुत्र नानगराम** की ओर से धारा **438 सपठित धारा 442 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो विद्वान अपीलीय न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, निवाई जिला टोंक (राज.)** द्वारा अपील फौजदारी प्रकरण संख्या **19/2024** में पारित निर्णय दिनांक **23.01.2026** के आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए विद्वान विचारण

Digitally signed by
MOHIT KUMAR
Date: 2026.10.31
12:24:48 IST

न्यायालय **अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई, टोंक राज.** द्वारा प्रकरण संख्या **165/2014 (517/2022)** में पारित निर्णय दिनांक **08.11.2024** की पुष्टि की गई थी। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त–याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए **एक वर्ष** के साधारण कारावास व **9,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड** एवं अदम अदायगी अर्थदंड अतिरिक्त **01 माह के साधारण कारावास** से दण्डित किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादी को पक्षकारों के मध्य सहमत राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को निस्तारित किया जाए।

परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा परिवादी को उक्त याचिका के निस्तारण किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण हो चुका है तथा परिवादी को उक्त राजीनामे पर कोई आपत्ति नहीं है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 में निहित सिद्धान्त तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Damodar S. Prabhu vs. Sayed Babalal H., (2010) 5 SCC 663 एवं Sanjabij Tari vs. Kishore S. Borcar & Ors., 2025 INSC 1158 के प्रकरणों में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Sanjabij Tari vs.

Kishore S. Borcar & Ors. (supra) के प्रकरण में निर्देशित लागत से उन्हें छूट प्रदान की जाती है।

परिणामस्वरूप, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे को स्वीकार किया जाता है। **विद्वान अपीलीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, निवाई जिला टोंक (राज.) द्वारा अपील फौजदारी प्रकरण संख्या 19/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2026 एवं विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई, टोंक राज. द्वारा प्रकरण संख्या 165/2014 (517/2022) में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2024 के निर्णय अपास्त किए जाते हैं।** याचिकाकर्ता को राजीनामे के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। याचिकाकर्ता जमानत पर हैं तथा उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त एकलपीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है एवं याचिका से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, उक्त याचिका के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ D-A 115